उपकार

प्रैक्टिस सैट एवं सॉल्वड् पेपर्स

उत्तर प्रदेश

सब-इंस्पेक्टर पुलिस

सीधी भर्ती परीक्षा

(पुरुष/महिला)

नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर (पीएसी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों के लिए

लेखक

डॉ. जोगिन्दर सिंह वीर

उपकार प्रकाशन, आगरा

Introducing Direct Shopping

Now you can purchase from our vast range of books and magazines at your convenience :

- Pay by Credit Card/Debit Card or Net Banking facility on our website *www.upkar.in* *OR*
- Send Money Order/Demand Draft of the print price of the book favouring 'Upkar Prakashan' payable at Agra. In case you do not know the price of the book, please send Money Order/Demand Draft of ₹ 100/- and we will send the books by VPP (Cash on delivery).

(Postage charges FREE for purchases above ₹ 100/-. For orders below ₹ 100/-, ₹ 20/- will be charged extra as postage)

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

हैड ऑफिस : 1 स्टेट बैंक कॉलोनी, निकट खन्दारी, आगरा-मथुरा बाई-पास, **आगरा**–282 005

रजि. ऑफिस : 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), **आगरा**–282 002

फोन : 2530966, 2531101

E-mail : care@upkar.in, **Website :** www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस :

4845, अन्सारी रोड, दरियागंज,
नई दिल्ली–110 002
फोन : 011–23251844,
43259035

पारस भवन (प्रथम तल),
खजांची रोड,
पटना–800 004
फोन : 0612-2303340

16-11-23/37, मूसारामबाग, टीगन गुडा
आर.टी.ए. ऑफिस के सामने मेन रोड
(यूनियन बैंक के बगल में), हैदराबाद–500 036 (तेलंगाना)
फोन : 040–24557283

8-310/1, ए. के. हाउस,
हीरानगर, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल–263 139 (उत्तराखण्ड)
मोबा. : 7060421008

- *इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा.*
- *इस पुस्तक को अथवा इसके किसी अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के, किसी भी रूप–फोटोग्राफी, विद्युत-ग्राफिक, यान्त्रिकी अथवा अन्य रूप में किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए नहीं छापा जा सकता है.*
- *किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा.*

ISBN : 978-93-89664-02-7

Code No. 2669

मुद्रक : उपकार प्रकाशन (प्रिंटिंग यूनिट) बाई-पास, आगरा

विषय-सूची

प्रैक्टिस सैट

- प्रैक्टिस सैट-1 3-19
- प्रैक्टिस सैट-2 20-36
- प्रैक्टिस सैट-3 37-52
- प्रैक्टिस सैट-4 53-69
- प्रैक्टिस सैट-5 70-86
- प्रैक्टिस सैट-6 87-103
- प्रैक्टिस सैट-7 104-120
- प्रैक्टिस सैट-8 121-138
- प्रैक्टिस सैट-9 139-156
- प्रैक्टिस सैट-10 157-173
- प्रैक्टिस सैट-11 174-192
- प्रैक्टिस सैट-12 193-208
- प्रैक्टिस सैट-13 209-222
- प्रैक्टिस सैट-14 223-236
- प्रैक्टिस सैट-15 237-250
- प्रैक्टिस सैट-16 251-264

सॉल्वड् पेपर्स

- उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2021 (12-11-21 को आयोजित) 1-16
- उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2017 (22-12-17 को आयोजित) 3-19
- उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2017 (20-12-17 को आयोजित) 20-38
- उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा, 2017 (22-12-17 को आयोजित) 39-55

परीक्षा सम्बन्धी जानकारी

शैक्षिक अर्हता

(क) उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी पद के लिए

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता.

(ख) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता.

टिप्पणी–

(1) आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए. अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे.

(2) **आवेदन-पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा. इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.**

अधिमानी अर्हताएँ

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी–

(1) डीओईएसीसी (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या

(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो.

आयु

भर्ती के लिए आवश्यक है कि–

अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो.

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए.

चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके. नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे.

टिप्पणी–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ/सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पद्च्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे.

वैवाहिक प्रस्थिति

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होगा/होगी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ/पति जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो.

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है.

शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो. किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे.

भर्ती की प्रक्रिया

यह चयन 'उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधित) नियमावली-2015' सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा.

● ऑनलाइन लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी. इस लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार अलग-अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न-पत्र होगा–

क्र.	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य हिन्दी	100
2.	मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान	100
3.	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100
4.	मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100

(i) ऑनलाइन लिखित परीक्षा 02 घण्टे (120 मिनट) की होगी.

(ii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित करायी जाएगी. प्रत्येक पालियों के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे. ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा. प्रसामान्यीकरण (Normalization) में Equi-Percentile Method लागू किया जाएगा.

(iii) सेवा नियमावली में सप्तम् संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे. उपर्युक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस नियम में शब्द 'अंक' आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा अर्थात् ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न-पत्र के प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत तथा चारों विषयों में कुल 50 प्रतिशत नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह/पात्र नहीं होंगे.

(iv) संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड, प्रश्न-पत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अन्तिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी.

(v) **ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम संलग्न है.** ऑनलाइन परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.

(vi) **प्रश्न-पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं. 2669 (एम.बी.)/ 2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ.प्र. लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा.**

● अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

ऊपर वर्णित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी.

शारीरिक मानक परीक्षण के मानक

पुरुषों हेतु–

(क) ऊँचाई :

1. सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी है.
2. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेमी है.

(ख) सीना :

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेमी बिना फुलाने पर और कम-से-कम 84 सेमी फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेमी बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेमी से कम नहीं होगा.

टिप्पणी–न्यूनतम 5 सेमी सीने का फुलाव अनिवार्य है.

महिलाओं हेतु–

(क) ऊँचाई :

1. सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेमी है.
2. अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेमी है.

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे. यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे. कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असन्तुष्ट होकर, ठीक

परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है. ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाएंगे उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.

● शारीरिक दक्षता परीक्षा

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी. शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2·4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगा, जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे. शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे. यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे. शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.

टिप्पणी–

(1) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जाएगी.

(2) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे जहाँ से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे.

● चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी. बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा–

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो उपर्युक्त वर्णित दिए गए अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हो. एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा.

(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी.

(3) यदि उपरिलिखित के वाबजूद भी एक से अधिक समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जाएगी.

● चिकित्सा परीक्षा

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी. चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा मैनुअल व 'पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र' के अनुसार की जाएगी. चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा.

पाठ्यक्रम

1. सामान्य हिन्दी

1. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ, 2. हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान-हिन्दी वर्णमाला, तद्भव-तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, विराम-चिह्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3. अपठित बोध, 4. प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ, 5. हिन्दी भाषा में पुरस्कार, 6. विविध.

2. मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान

(क) मूलिविधि–भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने सम्बन्धी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू-राजस्व सम्बन्धी कानूनों का सामान्य ज्ञान.

(ख) संविधान–संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी.

(ग) सामान्य ज्ञान–सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतन्त्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफ.डी.आई. (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट), विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उ. प्र. की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ. प्र. में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, कम्प्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन.

3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (Numerical and Mental Ability Test)

(क) संख्यात्मक योग्यता परीक्षा–

संख्या पद्धति (Number System), सरलीकरण (Simplification), दशमलव और भिन्न (Decimals and Fraction), महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्त्य (Highest common factor and lowest common multiple), अनुपात और समानुपात (Ratio and Proportion), प्रतिशतता (Percentage), लाभ और हानि (Profit and Loss), छूट (Discount), साधारण ब्याज (Simple interest), चक्रवृद्धि ब्याज (Compound interest), भागीदारी (Partnership), औसत (Average), समय और कार्य (Time and Work), समय और दूरी (Time and Distance), सारणी और ग्राफ का प्रयोग (Use of Tables and Graphs), मेन्सुरेशन (Mensuration), विविध (Miscellaneous).

(ख) मानसिक योग्यता परीक्षा–

तार्किक आरेख (Logical Diagrams), संकेत–सम्बन्ध विश्लेषण (Symbol–Relationship Interpretation), प्रत्यक्ष ज्ञान बोध (Perception Test), शब्द रचना परीक्षण (Word Formation Test), अक्षर और संख्या शृंखला (Letter and Number Series), शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता (Word and Alphabet Analogy), व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण (Common Sense Test), दिशा ज्ञान परीक्षण (Direction Sense Test), आँकड़ों का तार्किक विश्लेषण (Logical Interpretation of Data), प्रभावी तर्क (Forcefulness of Argument), अन्तर्निहित भावों का विनिश्चय करना (Determining Implied Meanings).

4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (Mental Aptitude Test/Intelligence Quotient Test/Test of Reasoning)

(क) मानसिक अभिरुचि परीक्षा (Mental Aptitude Test)
निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण (Attitude towards the following)–

जनहित (Public Interest), कानून एवं शान्ति व्यवस्था (Law and Order), साम्प्रदायिक सद्‌भाव (Communal Harmony), अपराध नियन्त्रण (Crime Control), विधि का शासन (Rule of Law), अनुकूलन की क्षमता (Ability of Adaptability), व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की) [Professional Information (Basic level)], पुलिस प्रणाली (Police System), समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था (Contemporary Police Issues Law and Order), व्यवसाय के प्रति रुचि (Interest in Profession), मानसिक दृढ़ता (Mental toughness), अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता (Sensitivity towards minorities and underprivileged), लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitivity).

(ख) बुद्धिलब्धि परीक्षा (Intelligence Quotient Test) : सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण (Relationship and Analogy Test), असमान को चिह्नित करना (Spotting out the Dissimilar), शृंखला पूरी करने का परीक्षण (Series Completion Test), संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना (Coding and Decoding Test), दिशा ज्ञान परीक्षण (Direction Sense Test), रक्त सम्बन्ध (Blood Relation), वर्णमाला पर आधारित प्रश्न (Problems based on Alphabet), समय-क्रम परीक्षण (Time-Sequence Test), वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण (Venn Diagram and Chart Type Test), गणितीय योग्यता परीक्षण (Mathematical Ability Test), क्रम में व्यवस्थित करना (Arranging in Order).

(ग) तार्किक परीक्षा (Test of Reasoning)

समरूपता (Analogies), समानता (Similarities), भिन्नता (Differences), खाली स्थान भरना (Space visualization), समस्या को सुलझाना (Problem solving), विश्लेषण निर्णय (Analysis judgement), निर्णायक क्षमता (Decision-making), दृश्य स्मृति (Visual memory), विभेदन क्षमता (Discrimination), पर्यवेक्षण (Observation), सम्बन्ध (Relationship) अवधारणा (Concepts), अंकगणितीय तर्क (Arithmetical reasoning), शब्द और आकृति वर्गीकरण (Verbal and figure classification), अंकगणितीय संख्या शृंखला (Arithmetical number series), अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता (Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships).